उत्तर प्रदेश शासन,
आबकारी अनुभाग-1
संख्या-10/1766 ई-1/तेरह-2014-499(5)/2009
लखनऊ ::दिनांक :: 13 दिसम्बर, 2014

<u>विज्ञप्ति/नियुक्ति</u>

श्री राज्यपाल आबकारी विभाग के निम्नलिखित अधिकारियों को सहायक आबकारी आयुक्त के पद से उप आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान रू0 15600-39100, ग्रेड वेतन रू0 6600/- में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मौलिक रूप से प्रोन्नत किये जाने के आदेश प्रदान करते हैं :-

क्र0सं0	नाम
1	**2**
1	श्री भारत रत्न अशोक
2	श्री विपिन बिहारी शर्मा
3	श्री कमलाकर त्रिवेदी
4	श्री बी0एम0 मिश्रा
5	श्री युगल किशोर स्वर्णकार
6	श्री देवी प्रसाद मिश्रा
7	श्री हरिश्चन्द्र
8	श्री राजेश मणि त्रिपाठी
9	श्री जंग बहादुर सिंह
10	श्री गिरीश चन्द्र
11	श्री महेन्द्र सिंह
12	श्री श्री प्रकाश तिवारी
13	श्री रविशंकर पाठक
14	श्री धीरज सिंह
15	श्री अरूण कुमार शुक्ला
16	श्री अरविन्द कुमार राय
17	श्री श्री प्रकाश राव
18	श्री शिव हरि मिश्रा

http://shasanadesh.up.nic.in

19	श्री जैनेन्द्र उपाध्याय

2. उपरोक्तानुसार प्रोन्नत उप आबकारी आयुक्त अपनी वर्तमान तैनाती से सम्बन्धित प्रभार तथा मुख्यालय पर तैनात अधिकारी मुख्यालय में ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। उक्त अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

3. उपरोक्त प्रोन्नत अधिकारियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से एक वर्ष के लिये परिवीक्षा पर रखा जाता है।

4; उक्त पदोन्नतियाँ मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या-364(एस/बी)/2014, रिट याचिका संख्या- 458(एस/बी)/2014, रिट याचिका संख्या-345(एस/बी)/2014 तथा 824(एस/बी)/2014 में पारित होने वाले अन्तिम आदेशों के अधीन होंगी।

(किशन सिंह अटोरिया)
प्रमुख सचिव।

संख्या- 10/1766 (1) ई-1/तेरह-2014, दिनांक 13 दिसम्बर, 2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) आबकारी आयुक्त, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
(3) निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
(4) सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
(5) सम्बन्धित कोषाधिकारी।
(6) समस्त संयुक्त आबकारी आयुक्त आबकारी विभाग, उत्तर प्रदेश।
(7) सम्बन्धित अधिकारीगण को इस निर्देश के साथ कि वे प्रोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करके आबकारी आयुक्त के माध्यम से शासन को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।
(8) विभागीय आदेश पुस्तिका।

आज्ञा से,

(मधु माथुर)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in